कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जनपद-फतेहपुर।

अधिसूचना

माननीय उच्च न्यायालय ,इलाहाबाद के पत्रांक संख्य-6621/Admin'G-1'/2019,Allahabad,dated 14.05.2019 व उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या -102/सात-न्याय--2-2015-728/86 दिनांकित 18 जून 2015 के अधीन परिवार न्यायालय,जनपद-फतेहपुर में उत्तर प्रदेश परिवार न्यायालय नियमावली 1955 के नियम 26(1)के अधीन पात्र अभ्यर्थियों की परामर्शदाता के रूप में आबद्धता के सम्बंध में निम्नलिखित प्रक्रिया के अधीन कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1904 के अधीन आवेदनपत्र आमंत्रित किये जाते है:-

1- अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

2- अभ्यर्थी का एक से अधिक जीवित पति/ पत्नी नहीं होना चाहिए।

3- अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने से नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग/न्यायालय द्वारा डिबार न किया गया हो।

4- अभ्यर्थी को न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामलें में दण्डित न किया गया हो।

5- यह प्रयास किया जायेगा कि व्यक्ति उसी जिले से सम्बंधित हो जहाँ पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगो को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करा जा सकता है।

6- शैक्षिक आर्हता हेतु यह ध्यान रखा जायेगा कि आर्ह व्यक्ति समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो व ,सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक और उसे समाज सेवा का अनुभव हो और पारिवारिक काउन्सिलिंग में जिन्हें 02 वर्ष का अनुभव है,उन्हें वरीयता दी जायेगी।

7- विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

8- आवेदनपत्र प्राप्त होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कूटनी की जायेगी और यथासम्भव एक पद से सापेक्ष 05 लोगी की सूची तैयार की जायेगी।

9- राज्य सरकार से आर्ह परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय ,परिवार एवं बाल विकास से सम्बंधित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरांत उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा ।

10- परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।

11- परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में 03 वर्ष होगा । माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुर्नविचार किया जा सकता है।

12- अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदनपत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

13- नियम पारिश्रमिक पर मंहगाई भत्ता या अन्य कोई भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

जो पुरूष अथवा महिला इस पद पर नियुक्त होने के इच्छुक हो वे अपना आवेदनपत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाणपत्रों की छाया प्रति सहित दिनांक 10.06.2019 तक प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय,फतेहपुर में पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रेषित कर सकते है।

4/6/19

प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय,
फतेहपुर।

प्रतिलिपिः-

1- प्रभारी अधिकारी (नजारत),जनपद न्यायालय,फतेहपुर को इस आशय से प्रेषित की वह उक्त आदेश की एक प्रति प्रशासनिक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर,बार एसोसिएशन जनपद न्यायालय,फतेहपुर बार एसोसिएशन कलेक्ट्रेट व वाहय न्यायालय खागा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करे।

2- जिला सूचना अधिकारी ,फतेहपुर को स्थानीय समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाश हेतु।

3- सिस्टम अधिकारी,कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय,फतेहपुर व माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइड में अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

4/6/19

प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय,
फतेहपुर।

जनपद न्यायालय फतेहपुर में परिवार न्यायालय हेतु परामर्शदाता पद के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

1- पद का नाम---

2- अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)---------- स्वप्रमाणित नवीनतम फोटो

(अंग्रेजी में)-.------- चिपकाए

3- पिता / पति का नाम-(हिन्दी में)---------------------

(अंग्रेजी में)------------------

4- स्थायी आवासीय पता ---

5- पत्राचार हेतु पता ---

6- जन्म तिथि---------------------------------

7- दिनांक 30.05.2019 को अभ्यर्थी की आयु ---------वर्ष------माह---------दिन

(जन्म तिथि के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करें।)]

8- शैक्षिक योग्यता उत्तीर्ण परीक्षाओं का उल्लेख करें और प्रमाण पत्रों तथा अंक तालिकाओं की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें

क्र०सं०	परीक्षा/डिग्री	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	टिप्पणी

9- क्या अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद लम्बित है अथवा उसे किसी अपराधिक वाद में दण्डित किया गया है।(यदि हॉ तो उसका उल्लेख करे।)------------
----

नोट- यह आवेदनपत्र में अंकित किया जाना आवश्यक है।

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा यह घोषण करता /करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण/ सूचनाए सत्य है और मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है। यदि कोई विवरण / सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाती है या कोई तथ्य छिपाया जाना पाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यिद नियुक्ति हो जाने के उपरांत ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जाये।

संलग्नकों की संख्या -

1- अंको एवं शब्दो में

2- विवरण

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक-